उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून

लेन नं० 3, भवन संख्या–23, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून।

E-mail:ukmssbdun@gmail.com,**Website**: www.ukmssb.org, **Phone**: 0135- 2665366

पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 15 / 2024–25 / 88 दिनांकः **30 जनवरी, 2026**

–:प्रत्यावेदन निस्तारण आदेशः–

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 15 / 2024–25 / 749, दिनांक– **19 अक्टूबर 2024** के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में फार्मासिस्ट (भेषज) के रिक्त **73** पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। प्रकाशित विज्ञापन के सापेक्ष चयन बोर्ड कार्यालय द्वारा पत्र संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 15 / 2024–25 / 65, दिनांक 17 जनवरी 2026 द्वारा रिक्त **65** पदों का अंतिम परीक्षा परिणाम जारी किया गया।

चयन बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या– उ0चि0से0च0बो0 / परी0 / 15 / 2024–25 / 71, दिनांक 19 जनवरी 2026 द्वारा अंतिम परीक्षा परिणाम के क्रम संख्या– **57** पर चयनित अभ्यर्थी– **Mrs. Vandana Bhatt** पत्नी श्री **Sohan Prasad Pant** अनुक्रमांक– **9250601209** के सम्बन्ध में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में राज्य आन्दोलनकारी आश्रित प्रमाण पत्र संख्या **491** अंकित किया गया है, परन्तु अभिलेख सत्यापन दिवस में राज्य आन्दोलनकारी आश्रित प्रमाण पत्र (संख्या– **276**, दिनांक– **06 जून 2025**) प्रस्तुत किया गया है, जो कि ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **15 जनवरी 2025** के उपरान्त का निर्गत किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम– **23–ए** में उल्लिखित है कि **''अभ्यर्थी द्वारा वैध आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित करना चाहिए।''** तथा नियम– **23–बी** में उल्लेख किया गया है कि **''अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक, जाति प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में, वह तिथि मानी जाएगी जो अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।''** चूंकि अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक स्वयं से सम्बन्धित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित प्रमाण पत्र धारित नहीं करते है तथा प्रस्तुत दस्तावेज ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के उपरान्त का है जो की नियमानुसार स्वीकार्य नहीं है। अंतिम परीक्षा परिणाम के क्रम संख्या– **57** पर चयनित अभ्यर्थी **Mrs. Vandana Bhatt** पत्नी श्री **Sohan Prasad Pant** अनुक्रमांक **9250601209** का प्रश्नगत पद पर चयन स्थगित रखा गया। साथ ही अभ्यर्थी को इस सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक– **22 जनवरी 2026 सांय 05.00** बजे तक का समय दिया गया था।

अभ्यर्थी Mrs. Vandana Bhatt पत्नी श्री Sohan Prasad Pant अनुक्रमांक 9250601209 द्वारा दिनांक– **21 जनवरी 2026** को बोर्ड कार्यालय में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया। बोर्ड द्वारा प्रत्यावेदन पर विचार विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया चूंकि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी आश्रित उपश्रेणी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि (**15 जनवरी 2025**) के उपरान्त का निर्गत किया गया प्रस्तुत किया गया है प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम– **23–ए** में प्राविधान है कि "**अभ्यर्थी द्वारा वैध आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित करना चाहिए।**" तथा नियम– **23–बी** में भी यह उल्लेख किया गया है कि "**अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक, जाति प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करता हो। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में, वह तिथि मानी जाएगी जो अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।**" अतः ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी या उनके आश्रित उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या– उ0चि0से0च0बो0/परी0/15/2024–25/65, दिनांक– **17 जनवरी 2026** द्वारा जारी चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों में फार्मासिस्ट (भेषज) के रिक्त पदों के परीक्षा परिणाम के क्रम संख्या– **57** पर चयनित अभ्यर्थी **Mrs. Vandana Bhatt** पत्नी श्री **Sohan Prasad Pant** अनुक्रमांक **9250601209** की चयन हेतु की गई संस्तुति को निरस्त करते हुए तदनुसार उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनांक– **21 जनवरी 2026** को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

ह0/–
(प्रदीप जोशी),
सचिव,